ej dke dk ekU;rk nk] U;ure oru nkA

मैं....................में घरखाता दस्तकार मज़दूर हूँ। मैं....................काम करता/करती हूँ।.....घंटे काम करने के बावजूद मैं एक दिन में/महीने भर में महज़................रुपये ही कमा पाता/पाती हूँ, जो कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली/उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा घोषित न्यूतम मज़दूरी................से भी कम है।

हम घरखाता मजदूर आज भी नीति निर्माताओं और आम जनता, दोनों की नजरों से ओझल हैं जबकि हमारी बनायी चीजों को आप सभी इस्तेमाल करते हैं। उपभोक्ता तो हमारी बनायी चीजों का वाजिब मोल देते हैं मगर हमें बहुत कम कीमत मिलती है। हमारी आमदनी बहुत कम होती है और हमारी कमाई उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है इसलिए हमें उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने बच्चों को भी काम पर लगाना पड़ता है। अगर हमें न्यूनतम वेतन ही दे दिया जाए तो यह समस्या खत्म हो सकती है। हमें बहुत मामूली और अस्थायी मजदूरी मिलती है, इसलिए हमें बुनियादी ढांचे के अभाव और समय–समय पर बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मेरे जैसे बहुत सारे मजदूरों को परंपरागत घरखाता मजदूरी छोड़ कर रोजी–रोटी की तलाश में दूसरे स्थानों को पलायन करना पड़ता है। आशा करते हैं कि आप समझेंगे कि मेरे भी अपने परिवार के लिए कुछ सपने हैं।

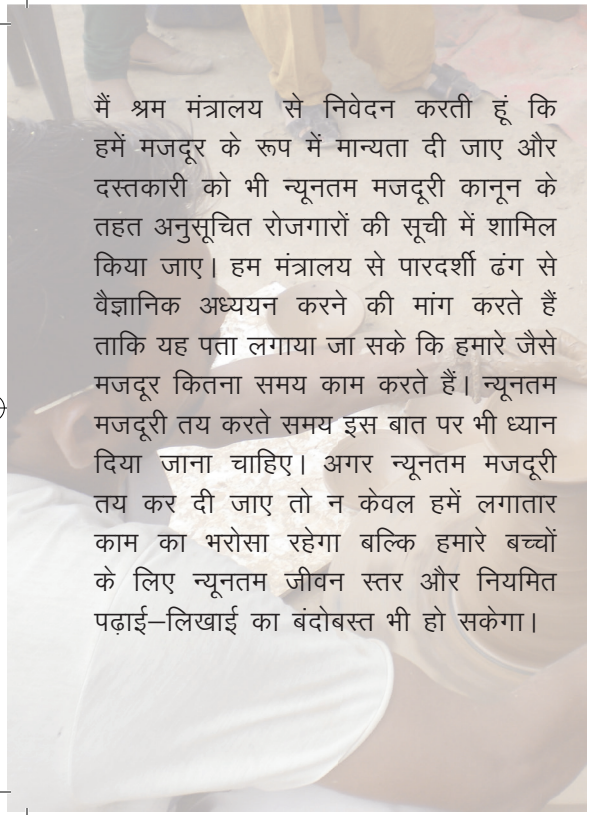

मैं श्रम मंत्रालय से निवेदन करती हूं कि हमें मजदूर के रूप में मान्यता दी जाए और दस्तकारी को भी न्यूनतम मजदूरी कानून के तहत अनुसूचित रोजगारों की सूची में शामिल किया जाए। हम मंत्रालय से पारदर्शी ढंग से वैज्ञानिक अध्ययन करने की मांग करते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि हमारे जैसे मजदूर कितना समय काम करते हैं। न्यूनतम मजदूरी तय करते समय इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर न्यूनतम मजदूरी तय कर दी जाए तो न केवल हमें लगातार काम का भरोसा रहेगा बल्कि हमारे बच्चों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर और नियमित पढ़ाई–लिखाई का बंदोबस्त भी हो सकेगा।

POST CARD

सेवा में